



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

DBR.No.DEA Fund Cell. 6700 /30.01.002/2018-19

February 12, 2019

The Chairman / Managing Director & CEO /
Chief Executive Officers
All Banks

Dear Sir / Madam,

The Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund) Scheme, 2014 – Revised guidelines for submission of Annual Certificate

Please refer to paragraph 6 of our Circular No. DBOD.DEAF Cell.BC.114/30.01.002/2013-14 dated May 27, 2014, wherein banks were advised that the returns submitted to RBI with regard to DEA Fund shall also be verified by the statutory auditors at the time of annual audit and an Annual Certificate shall be obtained from statutory auditors and forwarded to RBI, certifying that the returns have been correctly compiled by the bank.

2. On a review, it has been decided that the banks shall obtain the said Annual Certificate from their Statutory Auditor in the prescribed format (enclosed). This Certificate shall be submitted within one month from the date of completion of the bank's Statutory Audit or latest by September 30 of the subsequent financial year for which the Annual Certificate is obtained. This Certificate shall be forwarded in pdf format to dea.fund@rbi.org.in and the hardcopy must reach DEA Fund Cell, Department of Banking Regulation, Reserve Bank of India, Central Office, 12th Floor, Mumbai, in original, within the prescribed timeline.

3. This will come into effect from March 31, 2019.

Yours faithfully,

(Prakash Baliarsingh)
Chief General Manager
Encls: as above



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

बैंकवि.सं.डीईए निधि कक्ष. 6700 /30.01.002/2018-19

फरवरी 12, 2019

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक और सीईओ /
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी बैंक

महोदय / महोदया,

जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए निधि) योजना, 2014 - वार्षिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए संशोधित दिशानिर्देश

कृपया दिनांक 27 मई 2014 के हमारे परिपत्र संख्या बैंकवि. डीईएएफ कक्ष.बीसी.114 / 30.01.002 / 2013-14 के पैरा 6 का संदर्भ लें, जिसमें बैंकों को सूचित किया गया था कि डीईए निधि के संबंध में आरबीआई को प्रस्तुत विवरणी को वार्षिक लेखा परीक्षा के समय सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा भी सत्यापित किया जाए और सांविधिक लेखा परीक्षकों से यह प्रमाणित करते हुए वार्षिक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए और आरबीआई को अग्रेषित किया जाए कि बैंक द्वारा उचित रूप से विवरणियों का समेकन किया गया है।

2. इसकी समीक्षा पर, यह निर्णय लिया गया है कि बैंक अपने सांविधिक लेखा परीक्षक से निर्धारित प्रारूप (संलग्न) में उक्त वार्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त करें। यह प्रमाणपत्र बैंक की सांविधिक लेखापरीक्षा के पूरा होने की तिथि से एक महीने के भीतर या अधिक से अधिक जिस वर्ष के लिए वार्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है, उसके बाद के वित्तीय वर्ष के 30 सितंबर तक प्रस्तुत किया जाए। यह प्रमाणपत्र पीडीएफ फॉर्मेट में dea.fund@rbi.org.in पर भेजा जाए और इसकी हार्डकॉपी मूल रूप में, निर्धारित समयसीमा के भीतर डीईए निधि कक्ष, बैंकिंग विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 12 वीं मंजिल, मुंबई को प्राप्त हो जानी चाहिए।

3. यह 31 मार्च 2019 से प्रभावी होगा।

भवदीय,

(प्रकाश बलियारसिंह)

मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक: यथोक्त